

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - 888 /NG/2019/OPTG/SPJ

श्री धर्मवीर साफी, (अजा.) पिता श्री मोती साफी, वरीय मालगार्ड/बिलासपुर मंडल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, वेतनमान 9300-34800+4200, (लेवल-6) जिनका पदावनत पद मालगार्ड वेतनमान 5200-20200+2800, (लेवल-5) के पद पर अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के पत्र संख्या:-E/SA/Optg./Guard/IRT/02-18, दिनांक 20.02.2018 एवं मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/समस्तीपुर, पूर्व मध्य रेल के पत्र संख्या:- का/1/283/आई.आर./आई.डी./नि0अनु0स्था0/सम0/2018-पार्ट-1, दिनांक 16.07.2018 के द्वारा स्वीकृत है, तथा मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)/बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के पत्र संख्या:-E/SA/Optg./Guard/IRT/TKM & Ors/08-19, दिनांक 13.08.2019 के द्वारा विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 16.08.2019 को रिपोर्ट किये हैं, को मालगार्ड वेतनमान 5200-20200+2800, (लेवल-5) के पद पर निम्नतम वरीयता पर स्टेशन अधीक्षक/दरभंगा के अधीन पदस्थापित किया जाता है।

इनके इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 16.08.2019 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को पदस्थापना हेतु प्रतिक्षारत अवधि मानी जाएगी।

उक्त स्थानान्तरण कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण पर है अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

श्री धर्मवीर साफी, का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित।



Dharmvir Saffi



(मनोज कुमार चौधरी)
सहायक कार्मिक अधिकारी-।
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

सं0-का/1/283/आई.आर./आई.डी./निजी अनुरोध स्था0/सम0/2018 पार्ट-1, दिनांक 26.08.19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे-कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए0पी0ए0आर0 एवं सेवा अभिलेख विधिकरणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजने की व्यवस्था करें।
2. वमपचाप्र/समस्तीपुर।
3. वमविप्र./समस्तीपुर।
4. स्टेशन अधीक्षक/दरभंगा-कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दें।
5. मुकार्याधी/परिचालन संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करें।
6. मुकार्याधी/यातायात बिल।
7. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रकेष्ठ।
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी। 10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर